न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् उपखण्ड मजिस्ट्रेट बानसूर(अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी - श्री दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या - 69/2018
दायरा दिनांक - 10.07.2018
निर्णय दिनांक - 28-1-19

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर(राजस्थान)

--वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर जिला अलवर राज.।
2. तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
3. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज

-- प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित अधिवक्तागण

1. वादी - श्री धर्मपाल चौधरी एड.

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.01 हैक्ट., 698 रकबा 0.99 हैक्ट., 703 रकबा 0.09 हैक्ट., 705 रकबा 1.33 हैक्ट., 705/929 रकबा 0.39 हैक्ट., 810 रकबा 0.54 हैक्ट., 811 रकबा 1.98 हैक्ट. वाके ग्राम फतेहपुर जो कि साबिक खसरा नं. 587 रकबा 1.00 हैक्ट., 588 रकबा 0.67 हैक्ट., 589 रकबा 0.09 हैक्ट., 593 रकबा 1.33 हैक्ट., 594 रकबा 0.39 हैक्ट., 596 रकबा 0.54 हैक्ट., 597 रकबा 1.98 हैक्ट. वाके मौजा राजस्व ग्राम फतेहपुर तहसील बानसूर से दौराने सम्वत् 2060 से बनाये गये हैं। साबिक आराजी खसरा नं. 587 रकबा 1.00 हैक्ट., 588 रकबा 0.67 हैक्ट., 589 रकबा 0.09 हैक्ट., 593 रकबा 1.33 हैक्ट., 594 रकबा 0.39 हैक्ट., 596 रकबा 0.54 हैक्ट., 597 रकबा 1.98 हैक्ट. वाके ग्राम फतेहपुर की आराजी वादी की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा संख्या 1422 दिनांक 17/05/2007 से खरीदसुदा आराजी है और बयनामा के आधार पर इन्तकाल स्वीकार होकर राजस्व अमल जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज हो गई और वादी विवादित आराजी पर वक्त खरीद के समय से मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी का उक्त

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर

Scanned by CamScanner

बयनामा लिखते समय टाईपिस्ट ने वादी का नाम रमेशचन्द पुत्र ख्यालीराम की जगह महावीर पुत्र ख्यालीराम दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत ने भी गलत नाम का रिपीटेशन करते हुय इन्तकाल दर्ज कर दिया और इन्तकाल के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अमल करते समय भी वादी का नाम रमेशचन्द पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर महावीर पुत्र ख्यालीराम ही दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून, खिलाफ कब्जा मौका दर्ज किया गया जो राजस्व रिकार्ड गलत कायम किया गया है जबकि वादी का नाम रामशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र में रमेशचन्द पुत्र ख्यालीराम नाम सही है जिसको दुरूस्त करवाने बाबत यह दुरूस्ती दावा पेश करना लाजिम आया है। अतः दावा हाजा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि एक किता डिक्री वादी बहक प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि हाल आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.01 हैक्ट., 698 रकबा 0.99 हैक्ट., 703 रकबा 0.09 हैक्ट., 705 रकबा 1.33 हैक्ट., 705/929 रकबा 0.39 हैक्ट., 810 रकबा 0.54 हैक्ट., 811 रकबा 1.98 हैक्ट. वाके ग्राम फतेहपुर में वादी का नाम महावीर पुत्र ख्याली को कलमजन किया जाकर वादी का नाम मुताबिक राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बोटरलिस्ट व अन्य राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रमेशचन्द पुत्र ख्यालीराम सही दर्ज किया जाकर मुताबिक घोषणा कागजात माल जमाबन्दी में अमल करवाया जावे।

वादपत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से केस प्रभारी अधिकारी तहसीलदार बानसूर ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि मिन प्रतिवादी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। यदि न्यायालय वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करती है तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने में मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील नहीं हो पाई। उपसरपंच की रिपोर्ट अनुसार इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वादी अधिवक्ता ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक अपना वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू-1 वादी स्वयं, पी.डब्ल्यू-2 लीलाराम पुत्र रतीराम, पी.डब्ल्यू-3 बलबीर पुत्र मातादीन के शपथपत्र पेश किये तथा बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2072 खाता संख्या 214 वाके मौजा फतेहपुर, प्रदर्श-2 प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र संख्या 1422/07, प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल वाके मौजा फतेहपुर, प्रदर्श-4 आधार कार्ड वादी फोटो प्रति, प्रदर्श-5 चुनाव आयोग पहचान पत्र फोटो प्रति प्रदर्शित कराये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर

Scanned by CamScanner

हमने वादी अधिवक्ता की बहस का मनन किया एवम् पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 ग्राम फतेहपुर खाता संख्या 214 में महावीर पुत्र ख्याली 1/24 हि. दर्ज है। प्रस्तुत विक्रयपत्र प्रदर्श-2 में क्रेता के स्थान पर महावीर प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाट निवासी फतेहपुर दर्ज है तथा फोटो प्रार्थी का चसपा है। क्रेता के रूप में हस्ताक्षर "महावीर" अंकित है।

वादी स्वयं का, लीलाराम पुत्र रतिराम, बलवीर पुत्र मातादीन के शपथपत्रों एवम् वादी के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड के आधार पर यह जाहिर होता है कि प्रार्थी का सही नाम रमेश पुत्र ख्याली है। महावीर के नाम से जारी सम्मन पर रिपोर्ट उपसरपंच के अनुसार महावीर पुत्र ख्याली नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, रमेश पुत्र ख्याली है।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, तामील रिपोर्ट महावीर, संलग्न शपथपत्रों से यह सिद्ध होता है कि महावीर पुत्र ख्याली नाम का कोई व्यक्ति फतेहपुर में नहीं है, रमेश पुत्र ख्याली ही महावीर है। इस प्रकार समस्त विवेचन के पश्चात वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत: वादी का वाद स्वीकार कर आदेश है कि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम फतेहपुर में जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 214 में अंकित महावीर पुत्र ख्याली के स्थान पर रमेश पुत्र ख्याली जाट अंकित किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की अनुपालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर(अलवर)राज.
बानसूर अलवर

आज दिनांक 20-11-19 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर(अलवर)राज.

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् उपखण्ड मजिस्ट्रेट बानसूर(अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी - श्री दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या - 69/2018

दायरा दिनांक - 10.07.2018

निर्णय दिनांक - 28-1-19

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर(राजस्थान) **--वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर जिला अलवर राज.।
2. तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
3. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज

-- प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित अधिवक्तागण

1. वादी - श्री धर्मपाल चौधरी एड.

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार कर आदेश है कि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम फतेहपुर में जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 214 में अंकित महावीर पुत्र ख्याली के स्थान पर रमेश पुत्र ख्याली जाट अंकित किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी

बानसूर(अलवर)राज.

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/1/19 को मेरे हस्ताक्षर एवम् कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

बानसूर(अलवर)राज.

Scanned by CamScanner